
[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Order

The 16th June, 2014

No. S.O. 62/C.A. 2/1899/S. 9/2014.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899), the Governor of Haryana hereby remits the Stamp Duty in whole chargeable under the said Act on the instruments pertaining to transfer of immovable property within the family by an owner during his lifetime to any of the blood relations namely parents, children, grand children, brother (s), sister (s) and between spouse.

SHAKUNTLA JAKHU,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to
Government Haryana, Revenue and Disaster Management
Department.

भाग - III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

आदेश

दिनांक 16 जून, 2014

संख्या का०आ० 62/के०अ० 2/1899/धा० 9/2014.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्वामी द्वारा अपने जीवनकाल में खून के रिश्ते में परिवार के भीतर अर्थात् माता-पिता, बच्चे, पौता-पौती, भाई (भाईयों)-बहन (बहनों) तथा पति-पत्नी के बीच अचल सम्पत्ति अन्तर्गत से सम्बन्धित लिखतों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य सम्पूर्ण स्टाम्प शुल्क से छूट देते हैं।

शकुन्तला जाखू,

अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।